राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पचायती राज विभाग)

एफ.4(14)लैण्ड बैंक/विधि/पंरा/2022/720 जयपुर, दिनांकः 09/06/2022

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त(राजस्थान) ।

विषयः– पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमियों की सूचना बाबत ।

माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा दिनांक 15.3.2022 को राज्य विधानसभा में चर्चा के दौरान इस आशय की घोषणा की गई कि ग्राम पंचायतों की भूमि का रिकॉर्ड संधारित कर लैण्ड बैंक बनाया जायेगा, जिससे हमारी पंचायतों की निजी आय में वृद्धि हो ।

माननीय मंत्री महोदय की इस घोषणा की क्रियांविति हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न प्रपत्र में ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के स्वामित्व की भूमियों का राजस्व रिकार्ड से मिलान करवा कर, सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ।

प्रपत्र भिजवाये जाने हेतु आप निम्नानुसार वर्णित बिन्दुओं के अनुसार समयबद्ध कार्यवाही करावें:–

1. समस्त विकास अधिकारीगण को पाबन्द करावें कि वे व्यक्तिगत ध्यान देकर अपने कार्यालय के किसी ज़िम्मेदार अधिकारी/कार्मिक को तथा समस्त ग्राम विकास अधिकारीगण को पाबन्द करावें कि वो स्वयं अपने क्षेत्र यथा पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के राजस्व अधिकारी यथा तहसीलदार/पटवारी आदि के कार्यालय में व्यक्तिशः सम्पर्क कर, पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के स्वामित्व की भूमि चाहे वह आबादी किस्म की हो अथवा कृषि या अन्य किस्म की हो, का सम्पूर्ण विवरण प्राप्त कर जमाबन्दी की प्रति प्राप्त करें । **यह कार्य संबंधित द्वारा अधिकतम 15 दिवस की अवधि में पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये ।**

(क्रमशः........)

2. उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड से ग्राम पंचायत/पंचायत समिति के स्वामित्व की भूमियों की सूचना प्राप्त होने के पश्चात, संलग्न प्रपत्र में सूचना ग्राम पंचायतवार/पंचायत समितिवार पृथक–पृथक प्रेषित की जाये । **बिन्दु संख्या 1 की कार्यवाही के पश्चात प्रपत्र में सूचना अधिकतम 07 दिवस में आवश्यक रूप से भरवाई जाकर, प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।**

इस प्रकार से उपरोक्तानुसार वाछित प्रपत्र हर हाल में **अधिकतम 21 दिवस की अवधि में पंचायती राज विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया** जाये ।

(नवीन जैन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पचांयती राज, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
5. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
6. एसीपी, पंचायती राज विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

उपायुक्त एवं उप शासन सचिव(प्रथम)

पंचायती राज संस्थाओं के स्वामित्व वाली भूमियों के विवरण का प्रपत्र

क0 स0	नाम ग्राम पंचायत/ पंचायत समिति	राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि की किस्म	भूमि का क्षेत्रफल	वर्तमान में भूमि किसी को आवंटित की हुई है अथवा नहीं	आवंटन कितनी समयावधि के लिए एवं किस दर पर किया गया है, विवरण	राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग से भूमि की दूरी	वर्तमान में भूमि के उपयोग का विवरण	वर्तमान में भूमि से होने वाली आय का विवरण	भविष्य में भूमि के उपयोग हेतु सुझाव/कार्य योजना एवं होने वाली सम्भावित आय का विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11